प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

(छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित)

डॉ.सी.व्ही. रमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोटा, बिलासपुर, सी.एम.डी. स्नात्कोत्तर महाविद्यालय शिक्षा संकाय, बिलासपुर, डी.पी. विप्र कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे, कोनी, बिलासपुर, डी.एल.एस. कॉलेज, अशोक नगर, सरकंडा, बिलासपुर, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सुभाष नगर, गोंद पारा, बिलासपुर, श्री सिद्धपीठ महामाया शिक्षा महाविद्यालय, नेहरू नगर, बिलासपुर, शुभम शिक्षण महाविद्यालय, शुभम विहार, बिलासपुर, जी.टी.व्ही. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरहदा, जिला-बिलासपुर, जे.ई.एस. कॉलेज, फरहदा, बिलासपुर, संत गुरू घासीदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पचपेड़ी, बिलासपुर, पं. मदन मोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय, मोंथीडीह, दर्रीघाट, मस्तूरी, बिलासपुर एवं सांदीपनी एकेडमी, पेण्ड्री, मस्तूरी, बिलासपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फीस का पुनरीक्षण शैक्षणिक सत्र 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 के लिए अंतिम रूप से किया जा रहा है।

संकल्प दिनांक 21/11/2024

1. छ.ग. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था(प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे "अधिनियम, 2008" से उल्लेखित किया जाएगा), की धारा 4 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छ.ग. शासन द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति (जिसे आगे ए.एफ.आर.सी. से उल्लेखित किया जाएगा), जि से निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं गें प्रवेश के विनियमन एवं फीस के निर्धारण के लिए गठित किया गया है।

2. ए.एफ.आर.सी. इस संकल्प द्वारा डॉ.सी.व्ही. रमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोटा, बिलासपुर, सी.एम.डी. स्नात्कोत्तर महाविद्यालय शिक्षा संकाय, बिलासपुर, डी.पी. विप्र

छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
क्रमांक ...1201.....
दिनांक 27/11/24
शंकर नगर, रायपुर

हो चुकी है। दो वर्ष के कोरोना महामारी काल में शिक्षण संस्थाओं के खर्चों में बहुत कमी रही है क्योंकि ऑनलाईन पढ़ाई पर ही शिक्षण संस्थाएं चली है इसलिए दो वर्षों में उनकी काफी बचत भी हुई है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए ए.एफ.आर. सी. संभावित खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए 3 प्रतिशत की वृद्धि को ही समुचित पाती है। इसके अतिरिक्त विकास के लिए भी प्रत्येक संस्था को उसके स्तर के आधार पर जैसा कि ए.एफ.आर.सी.ने निरीक्षण में पाया है अतिरिक्त इनसेंटिव के रूप में भी दिया जाना समुचित पाती है। (अ) बहुत अच्छा (Very Good) , (ब) अच्छा (Good), (स) औसत या साधारण (Average) और इस आधार पर ही भविष्य के विकास के लिए भी प्रतिछात्र अतिरिक्त राशि देने का तय किया गया है जो क्रमशः औसत या साधारण के लिए 700/-, अच्छा के लिए 1000/-, बहुत अच्छा के लिए 1500/- रूपये निर्धारित की गई।

40. वर्ष 2024-2025 के पूर्व के वर्षों में जिस शिक्षण संस्था में जो फीस ली जा रही थी, वही रहेगी। आगे के वर्षों के लिए नीचे की सूची में वर्णित अनुसार शिक्षण संस्थाओं की आगामी 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 के लिए शैक्षणिक शुल्क निर्धारित करती है।

41. तद्नुसार यह ए.एफ.आर.सी. नीचे दर्शित निजी शिक्षण संस्था में संचालित बी.एड पाठ्यक्रम हेतु फीस का अंतिम निर्धारण उसके नाम के सम्मुख वर्षों के लिए निम्नानुसार किया जाता है:-

स. क्र.	निजी बी.एड. कॉलेजों के नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया गया।	श्रेणी	कुल फीस प्रतिछात्र/प्रतिवर्ष (सम्मिलित ट्यूशन फीस, ग्रोथ एण्ड डेव्लपमेंट चार्जेस, इंसेंटिव एवं अन्य सभी फीस)
1	डॉ.सी.व्ही. रमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोटा, बिलासपुर	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	संस्था के निवेदन पर उनकी फीस में परिवर्तन न करते हुए उनकी फीस रू. 31,970/- ही नियत की जाती है।	
2	सी.एम.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिक्षा संकाय, बिलासपुर	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 33,600.00

3	डी.पी. विप्र कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे, कोनी, बिलासपुर	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 32,500.00
4	डी.एल.एस. कॉलेज, अशोक नगर, सरकंडा, बिलासपुर	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	अच्छा	रू. 32,800.00
5	मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सुभाष नगर, गोंद पारा, बिलासपुर	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 32,500.00
6	श्री सिद्धपीठ महामाया शिक्षा महाविद्यालय, नेहरू नगर, बिलासपुर	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 32,500.00
7	शुभम शिक्षण महाविद्यालय, शुभम विहार, बिलासपुर	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 32,500.00
8	जी.टी.व्ही. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरहदा, जिला-बिलासपुर	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 32,500.00
9	जे.ई.एस. कॉलेज, फरहदा, बिलासपुर	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 32,500.00
10	संत गुरू घासीदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पचपेड़ी, बिलासपुर	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 32,500.00
11	पं. मदन मोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय, मोथीडीह, दर्रीघाट, मस्तूरी, बिलासपुर	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	साधारण	रू. 32,500.00
12	सांदीपनी एकेडमी, पेण्ड्री, मस्तूरी, बिलासपुर (छ.ग.)	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	अच्छा	रू. 32,800.00

42. छात्रावास, मेस और कॉलेज आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वैकल्पिक रहेगी। प्रत्येक छात्र/छात्राओं के लिए यह बाध्यता नहीं है कि उसका उपयोग करें। यह स्वैच्छिक है। छात्रावास, मेस एवं ट्रांसपोर्टेशन शुल्क "न लाभ न हानि"

(N0PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र/छात्राओं से ही लिया जाना है, अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा।

43. संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क यूनिफार्म, आई.डी.-कार्ड, लायब्रेरी-कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, स्किललैब एवं एन.एस.एस. फीस आदि मदों भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों में वसूल नहीं कर सकेगी।

44. संस्था द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में जो फीस ली जावेगी उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाईट तथा प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित होगी। प्रॉस्पेक्टस काउंसिलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी।

45. संस्था छात्र से रू. 2000/- (रूपए दो हजार मात्र) प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशनमनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी।

46. संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा ए.एफ.आर.सी. द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

47. यह फीस शिक्षण सत्र 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 में प्रवेशित छात्रों के लिए ही लागू होगी एवं यही फीस पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिए लागू रहेगी।

48. विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा।

49. ए.एफ.आर.सी.द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है।

50. संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र आदि) जमा नहीं कराया जाना है। केवल सत्यापन हेतु उसका अवलोकन किया जा सकता है।

51. छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था, छात्र से रू.10/-(रूपये दस मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं दूसरे महीने से रू. 15/- (रूपये पन्द्रह मात्र) प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी।

52. WP(C)1707/2016 श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई छात्र काउंसिलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है एवं अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो उसे काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के 05 दिन पूर्व संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करनी होगी, तभी उसकी जमा फीस नियमानुसार वापसी योग्य होगी। अन्यथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार फीस वापस नहीं की जा सकेगी।

53. छात्र से ली जाने वाली फीस या वापस की गई राशि बैंक के माध्यम से जैसे चेक अथवा बैंकड्राफ्ट द्वारा से ही ली या वापस की जा सकेगी।

54. संस्था प्रतिवर्ष गतवर्ष की आडिट रिपोर्ट नोटिस बोर्ड में चस्पा करेगी।

55. संबंधित संस्था फीस से संबंधित जानकारी एवं स.क्र. 41 से 54 तक की जानकारियां संस्था के नोटिस बोर्ड में बड़े अक्षरों में प्रसारित करेंगे तथा अपनी वेबसाईट में भी अपलोड करेंगे एवं की गई कार्यवाही से इस ए.एफ.आर.सी. को सूचित करेंगे।

56. अतः यह ए.एफ.आर.सी. डॉ.सी.व्ही. रमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कोटा, बिलासपुर, सी.एम.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिक्षा संकाय, बिलासपुर, डी.पी. विप्र कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे, कोनी, बिलासपुर, डी.एल.

एस. कॉलेज, अशोक नगर, सरकंडा, बिलासपुर, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सुभाष नगर, गोंद पारा, बिलासपुर, श्री सिद्धपीठ महामाया शिक्षा महाविद्यालय, नेहरू नगर, बिलासपुर, शुभम शिक्षण महाविद्यालय, शुभम विहार, बिलासपुर, जी.टी.व्ही. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरहदा, जिला-बिलासपुर, जे.ई.एस. कॉलेज, फरहदा, बिलासपुर, संत गुरू घासीदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पचपेड़ी, बिलासपुर, पं. मदन मोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय, भोथीडीह, दर्रीघाट, मस्तूरी, बिलासपुर एवं सांदीपनी एकेडमी, पेण्ड्री, मस्तूरी, बिलासपुर (छ.ग.) के अधोसंरचना और अन्य आधार पर उनकी श्रेणी का निर्धारण करते हुए कंडिका-41 के अनुसार उनके सम्मुख वर्षों के लिए शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण करती है।

संकल्प की प्रति आवश्यक अधिसूचना हेतु राज्य शासन की ओर भेजा जाए तथा एक प्रति वेबसाईट में अपलोड हेतु संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बीटीआई ग्राउंड, शंकरनगर,रायपुर की ओर भेजी जाएं।

21/11/24

(प्रभात कुमार शास्त्री)	(डॉ.यू.एस.पैकरा)	(योगेश वर्ल्यानी)	(सैयद अफसर अली)
अध्यक्ष	पदेन सदस्य	सदस्य (वित्त)	सदस्य (विधि)
ए.एफ.आर.सी.	(संचालक चिकित्सा शिक्षा)	ए.एफ.आर.सी.	ए.एफ.आर.सी.
	ए.एफ.आर.सी.		